

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उत्पन्न भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

स्कूल खिड़की केवल आवासीय प्रयोजनार्थ
कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 697 दिनांक 03/09/2020

प्राथमिक श्रेणी सरकारी सोनी W/O श्री श्याम सुन्दर सोनी

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय P.No: 05 सैनिक स्कूल

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश कर स्वानिर्धारण राशि रुपये 9125/- जमा

जरिये रसीद संख्या 9069/3927, 3928

दिनांक 03/09/2020 को जमा करा दी है ।

Prof 3/9/2020

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर


9799262887

4